

नोटिस चुनाव प्रचार करने और मतदान प्रक्रिया को बिगाड़ने के संबंध में निषेध



चेतावनी: चुनाव प्रचार करना वर्जित है!

उल्लंघन करने पर जुर्माने लगाए जा सकते हैं और/या कारावास की सजा दी जा सकती है।


कहाँ:

- मतदान करने के लिए कतार में खड़े किसी व्यक्ति के आसपास या मतदान स्थल के प्रवेश द्वार, पटरी के किनारे मतदान करना या ड्रॉप बॉक्स के 100 फीट के भीतर निम्नलिखित गतिविधियाँ करना वर्जित है।

कौन सी गतिविधियाँ वर्जित हैं:

- किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार या मतपत्र विधायक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए न कहें।
- किसी उम्मीदवार का नाम, तस्वीर या लोगो प्रदर्शित न करें।
- किसी मतपत्र ड्रॉप बॉक्स तक पहुंच को अवरुद्ध न करें या आसपास कूड़ा न फैलाएँ।
- किसी मतदान स्थल, मतदान केंद्र या मतपत्र ड्रॉप बॉक्स के पास किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र के पक्ष में या उसके खिलाफ कोई भी सामग्री या श्रव्य जानकारी प्रदान न करें।
- किसी पहल, जनमत संग्रह, रीकॉल या उम्मीदवार के नामांकन सहित किसी भी याचिका को प्रसारित न करें।
- किसी भी उम्मीदवार का नाम, छवि, लोगो, और/या समर्थन या किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र विधायक का समर्थन या विरोध करने वाले किसी भी कपड़े (टोपी, शर्ट, संकेत, बटन, स्टिकर) को वितरित, प्रदर्शित न करें या पहनें नहीं।
- किसी भी मतदाता की मतदान करने की पात्रता के बारे में जानकारी प्रदर्शित न करें या उसके बारे में मतदाता से बात न करें।

ऊपर संक्षेप में दिए गये चुनाव प्रचार निषेध कैलिफोर्निया चुनाव संहिता के खंड 18 के अध्याय 4 के लेख 7 में दिए गये हैं।



चेतावनी: मतदान प्रक्रिया को किसी भी तरह से बिगाड़ना वर्जित है!

उल्लंघन करने के लिए जुर्माना और/या कारावास की सजा दी जा सकती है।

कौन सी गतिविधियाँ वर्जित हैं:

- चुनाव में धोखाधड़ी न करें या धोखाधड़ी करने का प्रयास न करें।
- किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को मतदान करने या मतदान न करने के लिए किसी भी तरह का मुआवजा या रिश्वत प्रदान न करें या प्रेरित न करें या प्रेरित करने का प्रयास न करें।
- गैरकानूनी तरीके से मतदान न करें।
- मतदान करने का अधिकार न होने पर मतदान करने का प्रयास न करें या किसी अन्य को मतदान करने में सहायता न करें।
- चुनाव प्रचार में शामिल न हों; मतदान स्थल में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले मतदाता की तस्वीर न लें या रिकॉर्ड न करें; या प्रवेश, निकास, या पार्किंग में बाधा न डालें।
- किसी भी व्यक्ति के मतदान के अधिकार को चुनौती न दें या मतदाताओं को मतदान करने से न रोके; मतदान की प्रक्रिया में देरी न करें; या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को यह सलाह न दें कि वह मतदान करने के योग्य नहीं है या मतदान के लिए पंजीकृत नहीं है।
- यह पता लगाने की कोशिश न करें कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र पर कैसे वोट दिया।
- कुछ अपवादों को छोड़कर, किसी मतदान स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में किसी के पास बंदूक रखने की व्यवस्था न करें या न रखें।
- कुछ अपवादों को छोड़कर, किसी मतदान स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में शांति अधिकारी, गार्ड या सुरक्षा कर्मी की वर्दी में उपस्थित न हों या किसी के उपस्थित होने की व्यवस्था न करें।
- मतदान प्रणाली के किसी भी घटक के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप न करें।
- किसी मतदान के परिणामों की जाली नकल न बनाएँ, नकल न बनाएँ, या उनके साथ छेड़छाड़ न करें।
- किसी चुनाव के परिणामों में फेरबदल न करें।
- किसी भी मतदान सूची, आधिकारिक मतपत्र, या मतपत्र कंटेनर के साथ छेड़छाड़, नष्ट या परिवर्तन न करें।
- किसी भी गैर-आधिकारिक मतपत्र इकट्ठा करने वाले कंटेनर को प्रदर्शित न करें जो किसी मतदाता को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दे सकता है कि यह एक आधिकारिक संग्रह बॉक्स है।
- डाले गए वोटों के परिणामों की प्रति के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप न करें।
- किसी ऐसे व्यक्ति, जो पढ़ नहीं सकता या किसी बुजुर्ग के साथ किसी उम्मीदवार या विधायक के पक्ष में या उसके विपक्ष में मतदान करने के उनके इरादे के विपरीत जबरदस्ती न करें या धोखा न दें।
- किसी मतदान अधिकारी के तौर पर कार्यवाही न करें जबकि आप वह नहीं हैं।

नियोक्ता अपने कर्मचारी को काम पर डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र लाने के लिए कह नहीं सकते या अपने कर्मचारी से काम पर अपने मतपत्र पर मतदान देने के लिए नहीं कह सकते। वेतन या मजदूरी का भुगतान करते समय, नियोक्ता ऐसी सामग्री को संलग्न नहीं कर सकते हैं जो उनके कर्मचारी की राजनीतिक राय या कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास करती है।

क्षेत्र के बोर्ड सदस्य यह निर्धारित करने की कोशिश नहीं कर सकते कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र पर कैसे मतदान दिया या, यदि वह जानकारी मिलती है, तो यह प्रकट करती है कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र पर कैसे मतदान दिया।

ऊपर संक्षेप में दी गई मतदान प्रक्रिया को बिगाड़ने से संबंधित गतिविधि पर प्रतिबंध कैलिफोर्निया चुनाव संहिता के खंड 18 के अध्याय 6 में दिए गए हैं।